रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2007/ज्येष्ठ 10, 1929
No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2007/JYAISTHA 10, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2007

सा.का.नि. 405(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 में,-

(i) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. **चिकित्सा उपचार**-अध्यक्ष और सदस्य समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह ''क'' के अधिकारी को लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सुविधा के हकदार होंगे ।"

(ii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् :—

"9. **परिवहन भत्ता.**—अध्यक्ष और सदस्य किसी सरकारी यान का उपयोग करने या ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति करने, जो अपनी निजी कार के उपयोग और रख-रखाव के लिए समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह ''क'' के अधिकारी के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, के विकल्प के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे ।'' ।

[फा. सं. पी.-23011/1/06-एमकेटी.]

डी. एन. नरसिंहा राजू, संयुक्त सचिव

टिप्पण :– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 570(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2007

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 5 read with clause (a) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2006 :—

(i) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"**7. Medical Treatment.**—The Chairperson and a Member shall be entitled to medical reimbursement and facility as may be applicable to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.".

(ii) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

"**9. Transport allowance.**—The chairperson and a Member shall be allowed the option to make use of an official vehicle or reimbursement of such amount as may be fixed by the Central Government from time to time in respect of a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay for use and maintenance of his personal car.".

[F. No. P-23011/1/06-Mkt.]

D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

Note:—The Principal rules were Published in the Gazette of India, Exrraordinay, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 570 (E), dated the 15th September, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.